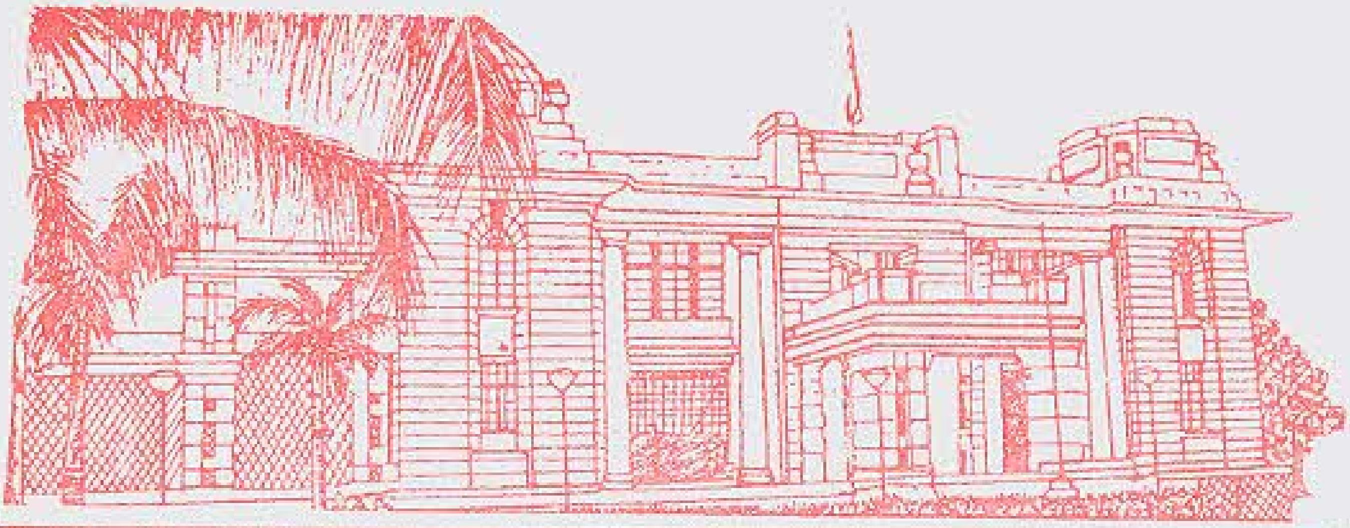

बिहार विधान परिषद   दैनिक विवरणिका

संख्या- 2   सत्र- 186वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
मंगलवार, दिनांक 22.8.2017 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 3.00 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव पर आसन का नियमन

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने बाढ़ की स्थिति के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट किया जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अधीन कार्यस्थगन प्रस्तावों के निष्पादन की प्रक्रिया की कंडिका-6 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने सृजन घोटाला से संबंधित कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अधीन कार्यस्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति के आधार संख्या-4,5,16,22,24 एवं 25 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

इस अवसर पर कार्यस्थगन तथा अन्य विषयों पर नारेबाजी करते हुए तथा पोस्टर लहराते हुए विपक्षी दल, राजद तथा कांग्रेस के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में चले आये तथा जोर-जोर से नारेबाजी करने लगे। जबकि माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से बोलती रहीं। आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्यगण टेबुल से थोड़ा पीछे रहें। बार-बार माननीय सदस्यों से आसन से खड़े होकर माननीय उप सभापति महोदय ने अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध किया परंतु यथावत् नारेबाजी होती रही।

2. **प्रश्नोत्तर काल**

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 1 उत्तरित हुआ।

आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं।

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 2, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 3 अनागत हुआ।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एवं 14 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या– 1 एवं 7 अनागत हुए।

3. **औपचारिक कार्य**

श्री गुलाम रसूल, अध्यक्ष द्वारा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति द्वारा समिति के 184वें प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई एवं सदन की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. **परिनियत कार्य**

1. माननीय मंत्री, श्री कपिलदेव कामत द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत अधिसूचित बिहार बोर्ड सभा तथा क्रियान्वयन एवं प्रबंध समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

2. माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा द्वारा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

3. माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

5. **ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में आसन का नियमन**

यथावत् नारेबाजी जारी रही। आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि जिन ध्यानाकर्षणों के उत्तर तैयार हों, संबंधित माननीय मंत्रीगण उसे सदन पटल पर रख दें।

6. **ध्यानाकर्षण**

1. माननीय सदस्य, श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा द्वारा पी.एम.सी.एच. के शिशु विभाग को संसाधन की उपलब्धता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद द्वारा संविदा पर चिकित्सकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, श्री सुमन कुमार द्वारा पंडौल प्रखंड के सकरी स्थित पी.एच.सी. भवन ट्रामा सेंटर के निर्माण एवं समुचित इलाज की व्यवस्था के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय ने वक्तव्य दिया।

(इस बीच सदन के व्यवथित नहीं रहने की स्थिति में आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सदन को 1.00 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।)

(अंतराल)

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने बाढ़ से उत्पन्न विभीषिका के संबंध में अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव के समर्थन में बोलना आरंभ किया, जिसका समर्थन राजद एवं कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने भी किया। इसपर माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि जिन प्रश्नों को यहां माननीय सदस्य उठा रहे हैं, नियमावली के तहत इन प्रश्नों को उठाया जाए। आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री जो बात कह रहे हैं अगर ध्यानाकर्षण के रूप में इसे लाया जाएगा तो सरकार जवाब देगी क्योंकि कार्यस्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने भी राहत कार्यों की जानकारी दी परंतु कार्यस्थगन प्रस्ताव के समर्थन में राजद एवं कांग्रेस के माननीय सदस्यगण सदन बेश्म में चले आए तथा जोर-जोर से नारेबाजी करने लगे। आसन से बार-बार अनुरोध के बावजूद नारेबाजी जारी रही। इस अवसर पर माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से बोलती रहीं। इस बीच शून्यकाल की सूचना पढ़ने के लिए माननीय सदस्य, श्री राजेश राम एवं श्री राधाचरण साह का नाम आसन से पुकारा गया परंतु शोरगुल के कारण उसे नहीं पढ़ा जा सका।

7. विशेषाधिकार हनन की सूचना एवं आसन का निर्णय

माननीय सदस्य, डा. उपेन्द्र प्रसाद ने अनुमंडलाधिकारी, मसौढ़ी, श्री आनंद शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना को आसन के निदेश पर सदन में पढ़ा जिसपर आसन से यह निर्णय देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, डा. उपेन्द्र प्रसाद से प्राप्त विशेषाधिकार हनन का यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है।

यथावत् नारेबाजी जारी रही और सदन के व्यवस्थित नहीं रहने की स्थिति में आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सदन को 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।)

(अंतराल)

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने कहा कि मैंने सृजन घोटाला पर कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है, इसपर आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि आपके

कार्यस्थगन को अस्वीकृत कर दिया गया है। परंतु, राजद एवं कांग्रेस के कई माननीय सदस्यगण जोर-जोर से नारेबाजी करते हुए पोस्टर लहराने लगे। प्रत्युत्तर में सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार एवं डा. उपेन्द्र प्रसाद भी बोलने लगे जबकि माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से बोलती रहीं।

8. **गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)**

1. माननीय सदस्य, श्री केदार नाथ पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'पूर्वोत्तर भारत के सर्वाधिक राजस्व देने वाले पटना जंक्शन, राजेन्द्र नगर, पाटलिपुत्र जंक्शन एवं दानापुर रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय स्मार्ट बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

2. माननीय सदस्य, श्री रामलषण राम 'रमण' ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराठाढ़ी प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित रेफरल अस्पताल के बंद जर्जर भवन का पुनर्निर्माण कराकर चालू करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

3. माननीय सदस्य, डा. संजीव कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रबंधन बोर्ड में बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

4. माननीय सदस्य, डा. रामवचन राय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति एक्यूप्रेशर के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु अधिनियम बनावे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

5. माननीय सदस्य, श्री आदित्य नारायण पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'गोपालगंज जिलांतर्गत कुचायकोट प्रखंड के भोज छापर रमजीता स्थित बाबा कतीनाथ धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

6. माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र भारती ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'पटना जिलान्तर्गत अनिसाबाद-पुनपुन बांध सड़क के ढनढनाचक से पश्चिम कुरकुरी पुलिस सोसाइटी भवन फेज-2 से होते हुए हिन्दुनी मुसहरी तक सड़क का निर्माण करे।'

(प्रस्ताव व्यपगत हुआ।)

7. माननीय सदस्य, प्रो. वीरेन्द्र नारायण यादव ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की जमीन को अतिक्रमणमुक्त करे।'

(प्रस्ताव व्यपगत हुआ।)

8. माननीय सदस्य, श्री शिवप्रसन्न यादव ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य में स्थित पईनों, खंतों, नहरों एवं नदियों की उड़ाही करने के पश्चात् उनके तटबंधों को कटाव से बचाने हेतु दोनों तरफ (फलदार एवं इमारती) वृक्ष लगावे।'

(प्रस्ताव व्यपगत हुआ।)

9. माननीय सदस्य, श्री चंदेश्वर प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य में निर्मित मिट्टी उत्पादों के निर्माण एवं वितरण की सुविधा हेतु बिहार राज्य माटी कला बोर्ड का गठन करे।'

(प्रस्ताव पढ़ा हुआ मान लिया गया, परंतु सदन में हंगामा के कारण सरकार की ओर से वक्तव्य नहीं दिया जा सका।)

10. माननीय सदस्य, श्री सी.पी. सिन्हा ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'बिहटा से नवीनगर (औरंगाबाद) रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

11. माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'बक्सर जिलान्तर्गत ब्रह्मपुर प्रखंड के वर्ष 2015 में नियोजित शिक्षकों का 14 माह का लंबित वेतन भुगतान करे।'

(प्रस्ताव व्यपगत हुआ।)

12. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार जायसवाल ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'किशनगंज जिला मुख्यालय में कैलटेक्स चौक से बंगला देश जानेवाली सड़क उत्तर दिनाजपुर रोड का दोहरीकरण करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

इस अवसर पर राजद एवं कांग्रेस के कई माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में जोर-जोर से नारेबाजी करते रहे तथा हाथों में पोस्टर लहराते रहे। माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार, श्री रणविजय सिंह एवं अन्य सदस्यों ने रिपोर्टर टेबुल को गिरा दिया। इसके कारण शेष सूचनाएं नहीं पढ़ी जा सकीं। आसन से बारंबार यह नियमन दिया गया कि टेबुल मत तोड़िए, आप पर कार्रवाई होगी, पीछे

हटिए, बैठिए परंतु यथावत् हंगामा जारी रहा। माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने अनुरोध किया कि सदन में शांतिपूर्वक अपनी बात कही जाए, परंतु यथावत हंगामा जारी रहा।

9. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री केदारनाथ पाण्डेय
2. श्री वीरेन्द्र नारायण यादव
3. प्रो. संजय कुमार सिंह
4. डॉ. उपेन्द्र प्रसाद
5. श्री सतीश कुमार
6. श्री राधाचरण साह
7. श्री हीरा प्रसाद विन्द
8. श्री रजनीश कुमार
9. श्री संजीव कुमार सिंह
10. श्री सुबोध कुमार
11. श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा
12. श्री चन्देश्वर प्रसाद
13. श्रीमती रीना देवी
14. श्री सुनील कुमार सिंह

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक बुधवार, दिनांक 23.8.2017 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

22/8/2017

(सुधीर शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।

ज्ञापांक- 1301 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 22.8.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
22-08-2017

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।